उनवान – ईश्वर दयाल बनाम सरकार वगै0
प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी
निर्णय दिनांक 13.11.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

मु.न. 15/2017

उनवान

ईश्वरदयाल दत्तक पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर पारीक,उम्र 51 वर्ष, जाति पारीक, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
2. अमरसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कुम्भा का बास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. कौशल्या देवी पत्नी श्री मोहनलाल, जाति अहीर, निवासी डालूका की ढ़ाणी, ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. मूंगाराम पुत्र गंगाराम अहीर, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. अशोक पुत्र चिरंजीलाल
6. विमल पुत्र चिरंजीलाल
7. राकेश पुत्र चिरंजीलाल
8. सुनिल पुत्र चिरंजीलाल
9. गीता पत्नि चिरंजीलाल
10. निर्मला पुत्री चिरंजीलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र बालमुकन्द
12. महेश पुत्र बालमुकन्द
13. कैलाश पुत्र बालमुकन्द
14. बाबूलाल पुत्र बालमुकन्द
15. स्नेहलता पुत्री बालमुकन्द
16. पुष्करमल उर्फ पुष्करराज पुत्र भूरामल
17. मालीराम पुत्र दुर्गासहाय
18. हेमन्त कुमार पुत्र दुर्गासहाय समस्त जाति पारीक, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
19. ताराचन्द पुत्र गंगासहाय उर्फ गंगाबक्श, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
20. कमला पुत्री बालमुकुन्द पारीक निवासी ग्राम आलीसर तहसील चौमूँ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांकः– 13.11.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम कानरपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 13 के हाल खसरा नम्बर 856/2 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर, प्रार्थी की भूमि निहित हैं।

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चोमू के आदेश से दिनांक 26.06.2017 को श्रीमान तहसीलदार चोमू के आदेश कमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/2017/1826 दिनांक 12.05.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 871 में स्थित गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 856/2 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी खातेदार व्यक्ति हैं, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 26.06.2017 को पटवारी हल्का आलीसर द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.09 16:40:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: